पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 189/2018

अनवान :

1. रणवीर सिंह पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी रामगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रोशनी पत्नी स्व. इन्द्रसिंह जाति जाट निवासी रामगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. अजय कुमार पुत्र स्व0 इन्द्रसिंह उम्र 10 वर्ष नाबालिग जरिऐ वाद मित्र वली कुदरती माता खुद मु0 रोशनी पत्नी इन्द्रसिंह जाति जाट निवासी रामगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी रामगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भादरा बजरिऐ शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भादरा तहसील भादरा।
3. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एडीबी) शाखा छानीबड़ी तहसील भादरा जरिऐ शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एडीबी) शाखा छानीबडी तहसील भादरा।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिऐ भूमिधारी तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री विक्रम शर्मा एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 श्री राजेन्द्र जाखड़ की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा चक 9 जेजीडब्ल्यु तहसील भादरा में कुल तादादी 9.1080 है0 मय रास्ता स्थित है, जिसका खुलासा विवरण निम्न प्रकार मु0नं0 24 के किला नं0 15–16 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 25 के किला नं0 11–20 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 489 के किला नं0 1 से 3, 7 से 14, 19–20 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 49 के किला नं0 6 से 20, 22 से 24 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 50 के किला नं0 15 की 0.253 है0 इस प्रकार कुल 36 किता में कुल क्षेत्रफल 9.1080 है0 जिसमें गैरमुमकिन रास्ता 0.390 है0 शामिल है का खाता विभाजन किया जाकर वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी :–

1. **वादीगण रणवीर पुत्र रामचन्द्र 1/2 हिस्सा, रोशनी पत्नी इन्द्रसिंह व अजयसिंह पुत्र इन्द्रसिंह संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा जाति जाट सा0 रामगढिया खातेदार राहिन रोशनी देवी हिस्सा बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा भादरा, रणवीर हिस्सा एसबीआई शाखा छानीबडी** : चक 9 जेजीडब्ल्यु के मु0नं0 24 के किला नं0 15, 16 की 0.506 है0 जिसमें नहरी 0.480 है0 रास्ता 0.026 है0, मु0नं0 49 के किला नं0 6 पश्चिमी तरफ की उतर से

18-3-19

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

दक्षिण लम्बी 0.038 है0, किला नं0 7 ता 14 की 2.024 है0, किला नं0 17 ता 20 की 1.012 है0, 22 ता 24 की 0.759 है0 मु0नं0 50 के किला नं0 15 की 0.2530 है0 कुल तादादी 4.592 है0 जिसमें नहरी वर्तमान में 4.566 है0 व रास्ता 0.026 है0 है।

2. **प्रतिवादी ओमप्रकाश पुत्र सहीराम जाति जाट सा. रामगढिया खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा** : चक 9 जेजीडब्ल्यु के मु0नं0 25 के किला नं0 11 की 0.253 है0, 20 की 0.253 है0 जिसमें नहरी 0.240 है0 रास्ता 0. 013 है0, मु0नं0 48 के किला नं0 1 ता 3, 7 ता 14, 19 से 20 कुल 3.279 है0 मु0नं0 49 के किला नं0 6 की 0.215 है0 किला के पूर्वी तरफ की तथा किला नलं0 15, 16 की 0.506 है0 इस प्रकार कुल तादादी 4.516 है जिसमें नहरी 4.502 है0 रास्ता 0.013 है।

चक 9 जेजीडब्ल्यु के मु0नं0 49 के किला नं0 11 ता 14 व मु0नं0 50 के किला नं0 15 में दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम 1—1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जाकर पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम किया जावे। चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन बैंक यथावत् रखा जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उपखण्डाधिकारी भादरा — मुहर)

18.7.19

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 189/2018

अनवान :

1. रणवीर सिंह पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी रामगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रोशनी पत्नी स्व. इन्द्रसिंह जाति जाट निवासी रामगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. अजय कुमार पुत्र स्व0 इन्द्रसिंह उम्र 10 वर्ष नाबालिग जरिऐ वाद मित्र वली कुदरती माता खुद मु0 रोशनी पत्नी इन्द्रसिंह जाति जाट निवासी रामगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी रामगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भादरा बजरिऐ शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भादरा तहसील भादरा।
3. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एडीबी) शाखा छानीबड़ी तहसील भादरा जरिऐ शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एडीबी) शाखा छानीबडी तहसील भादरा।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिऐ भूमिधारी तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्त.अधि. 1955

उपस्थिति : वकील श्री विक्रम शर्मा : **वादीगण**

वकील श्री राजेन्द्र जाखड़ : **प्रतिवादी सं0 1**

निर्णय **दिनांक :** 18.07.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा चक 9 जेजीडब्ल्यु तहसील भादरा में कुल तादादी 9.1080 है0 मय रास्ता स्थित है, जिसका खुलासा विवरण निम्न प्रकार मु0नं0 24 के किला नं0 15–16 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 25 के किला नं0 11–20 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 489 के किला नं0 1 से 3, 7 से 14, 19–20 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 49 के किला नं0 6 से 20, 22 से 24 प्रत्येक की 0. 253 है0 मु0नं0 50 के किला नं0 15 की 0.253 है0 इस प्रकार कुल 36 किता में कुल क्षेत्रफल 9.1080 है0 जिसमें गैरमुमकिन रास्ता 0.390 है0 शामिल है।

उक्त खातेदारी के दो टक है जिसमें से मु0नं0 24–25 की चार बीघा का एक खेत है तथा शेष मु0नं0 48–49–50 की खातेदारी का एक खेत है। खाता हाजा में वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से इस प्रकार है कि वादी नं0 1 रणवीर

18.7.19

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

का 1/4 हिस्सा, वादी नं0 2, 3 का संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 का अकेले का 1/2 हिस्सा खातेदारी है जो जमाबन्दी माल में इसी अनुसार दर्ज रिकार्ड है। पक्षकारान वादीगण, प्रतिवादी लम्बे समय तक संयुक्त रूप से काश्त करते रहे है लेकिन अब उनको एक साथ काश्त करने में कई प्रकार की व्यवहारिक अड़चन आ रही है इसलिए पक्षकारान अपना खाता व माल अच्छी न्याउ के लिहाज से अलग अलग करवाने व विभाजन अनुसार अपना कब्जा अलग अलग नये सीरे से प्राप्त करने के मुश्तहक है।

प्रतिवादी सं0 1 जो परिवार में अधिक ताकतवर है जबकि वादी नं0 1 अक्सर बिमार रहने के कारण कमजोर पड़ गया है तथा वादी नं0 2 पति इन्द्रसिंह की मृत्यु हो चुकी है और वादी नं0 3 नाबालिग है इसलिए प्रतिवादी सं 1 अपनी मनमर्जी से खेत की अच्छी ताल भूमि को हथियाने के लिए लालायित है उसने कल अचानक मु0नं0 49 के किला नं0 20 में अपनी मनमर्जी से डिग्गी खुदाई करनी शुरू कर दी है। वादीगण ने उसे मना किया कि पहले जोत का विभाजन करवाकर फिर उसमें प्रत्येक अपने हिस्से अनुसार सुधार करें लेकिन वह मान नहीं रहा है वह सारी अच्छी किस्म की जमीन को कब्जे वा आधिपत्य लेना चाहता है। जबकि प्रत्येक हिस्सेदार अच्छी में से अच्छी न्याऊ में से न्याऊ को काश्त करने वा खाले व रास्ते की सुविधा प्राप्त करते हुए विभाजन करवाने का हकदार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। चूंकि जोत विभाजन का वाद है व पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है इसलिए पत्रावली सीधे बहस हेतु रखी गई।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के कथनों को दौहराते हुए मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत वाद वादीगण ने चक 9 जेजीडब्ल्यु के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का खाता विभाजन अपने सहखातेदारान से अलग कायम करवाने वाद पेश किया है। वादीगण ने अपने अपने दावा के समर्थन में जो जमाबन्दी चक 9 जेजीडब्ल्यु खाता सं0 14/15 सम्वत् 2073 से 76 पेश की है उनमें वाद भूमि पक्षकारान के नाम दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया है। इस प्रकार वादीगण के दावा का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है। वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 मुताबिक राजीनामा मय रंगदार नक्शा के खाता व लगान अलग अलग कायम करवाने हेतु सहमत है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा चक 9 जेजीडब्ल्यु तहसील भादरा में कुल तादादी 9. 1080 है0 मय रास्ता स्थित है, जिसका खुलासा विवरण निम्न प्रकार मु0नं0 24 के किला नं0 15–16 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 25 के किला नं0 11–20 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 489 के किला नं0 1 से 3, 7 से 14, 19–20 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 49 के किला नं0 6 से 20, 22 से 24 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 50 के किला नं0 15 की 0.253 है0 इस प्रकार कुल 36 किता में कुल क्षेत्रफल 9.1080 है0

10.7.12

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

जिसमें गैरमुमकिन रास्ता 0.390 है0 शामिल है का खाता विभाजन किया जाकर वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी :–

1. **वादीगण रणवीर पुत्र रामचन्द्र 1/2 हिस्सा, रोशनी पत्नी इन्द्रसिंह व अजयसिंह पुत्र इन्द्रसिंह संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा जाति जाट सा0 रामगढिया खातेदार राहिन रोशनी देवी हिस्सा बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा भादरा, रणवीर हिस्सा एसबीआई शाखा छानीबडी :** चक 9 जेजीडब्ल्यु के मु0नं0 24 के किला नं0 15, 16 की 0.506 है0 जिसमें नहरी 0.480 है0 रास्ता 0.026 है0, मु0नं0 49 के किला नं0 6 पश्चिमी तरफ की उत्तर से दक्षिण लम्बी 0.038 है0, किला नं0 7 ता 14 की 2.024 है0, किला नं0 17 ता 20 की 1.012 है0, 22 ता 24 की 0.759 है0 मु0नं0 50 के किला नं0 15 की 0.2530 है0 कुल तादादी 4.592 है0 जिसमें नहरी वर्तमान में 4.566 है0 व रास्ता 0.026 है0 है।

2. **प्रतिवादी ओमप्रकाश पुत्र सहीराम जाति जाट सा. रामगढिया खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा :** चक 9 जेजीडब्ल्यु के मु0नं0 25 के किला नं0 11 की 0.253 है0, 20 की 0.253 है0 जिसमें नहरी 0.240 है0 रास्ता 0. 013 है0, मु0नं0 48 के किला नं0 1 ता 3, 7 ता 14, 19 से 20 कुल 3.279 है0 मु0नं0 49 के किला नं0 6 की 0.215 है0 किला के पूर्वी तरफ की तथा किला नलं0 15, 16 की 0.506 है0 इस प्रकार कुल तादादी 4.516 है जिसमें नहरी 4.502 है0 रास्ता 0.013 है।

चक 9 जेजीडब्ल्यु के मु0नं0 49 के किला नं0 11 ता 14 व मु0नं0 50 के किला नं0 15 में दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जाकर पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम किया जावे। चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन बैंक यथावत् रखा जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

18.2.19

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़